परिपत्र सं. ___/___/2026-जीएसटी

प.सं. CBIC-20010/11/2026-GST

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

***

नई दिल्ली, दिनांक: 25 जून, 2026

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त (सभी)

प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक (सभी)

महोदय / महोदया,

विषय: एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र में कराधेय व्यक्ति के स्थानांतरण से जुड़े मामलों में अधिकारिता के संबंध में स्पष्टीकरण – के संदर्भ में।

क्षेत्रीय संरचनाओं से संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जब किसी कराधेय व्यक्ति के कारोबार के प्रमुख स्थान में परिवर्तन के कारण उसके अधिकार क्षेत्र में बदलाव होता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "सीजीएसटी अधिनियम" कहा जाएगा) के अंतर्गत कार्यवाही के विभिन्न चरणों में की गई कार्रवाई की वैधता तथा उसे करने के लिए सक्षम अधिकारी के संबंध में क्या स्थिति होगी।

2. निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है:

(i) क्या पूर्ववर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा कराधेय व्यक्ति के अन्यत्र स्थानांतरण से पूर्व, कार्यवाही के किसी चरण में की गई कार्रवाई, उत्तरवर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी पर भी मान्य और लागू रहेगी?

(ii) क्या पूर्ववर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी, कराधेय व्यक्ति के उत्तरवर्ती अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाने के पश्चात् भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है अथवा नई कार्यवाही आरंभ कर सकता है?

(iii) ऐसी पूर्व में की गई कार्रवाई को प्रभावी करने, उसे क्रियान्वित करने अथवा उस पर आगे की कार्रवाई, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी या अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करना, संबंधित कार्यवाही में विभागीय पक्ष रखना, उसका बचाव करना अथवा उसे संचालित करना सम्मिलित है, करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होगा?

3. एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र में कराधेय व्यक्ति के स्थानांतरण से जुड़े ऐसे मामलों में प्रक्रिया के एकसमान क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के परामर्श से इस विषय की समीक्षा की गई है। तद्नुसार, बोर्ड द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं।

4. उपर्युक्त अनुच्छेद 2 में उल्लिखित जीएसटी के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों में मूल प्रश्न यह है कि पूर्ववर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की वैधता और कराधेय व्यक्ति के स्थानांतरण के पश्चात् उत्तरवर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी के नियंत्रण के बीच क्या संतुलन होना चाहिए। सभी चरणों की कार्रवाइयों एवं कार्यवाहियों पर समान रूप से लागू होने वाला शासी सिद्धांत यह है कि किसी वैधानिक शक्ति के प्रयोग हेतु अधिकार क्षेत्र का आकलन उस तिथि के आधार पर किया जाना चाहिए, जिस तिथि को वह शक्ति वास्तव में प्रयुक्त की गई थी। कराधेय व्यक्ति का परवर्ती स्थानांतरण, पूर्ववर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पहले से ही विधिवत् आरंभ या निष्पादित किसी कार्यवाही को पूर्वव्यापी रूप से अविधिमान्य नहीं करता, यद्यपि यह उस बिंदु से आगे की कार्यवाही किस अधिकारी द्वारा संचालित की जाए, इस प्रश्न को अवश्य प्रभावित करता है।

5. जहाँ कार्यवाही के किसी विशेष चरण, जैसे जाँच, लेखापरीक्षा, कारण बताओ नोटिस जारी करना, न्यायनिर्णयन आदेश जारी करना, पुनरीक्षण आदेश जारी करना, अपील दाखिल करना, अपील आदेश जारी करना, अथवा सीजीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत कोई अन्य कार्यवाही, से संबंधित कार्रवाई उस समय पंजीकृत करदाता पर अधिकारिता रखने वाले पूर्ववर्ती अधिकारी द्वारा विधिवत् की गई हो, वहाँ ऐसी कार्रवाई कराधेय व्यक्ति के परवर्ती स्थानांतरण के बावजूद विधिमान्य बनी रहेगी। तथापि, अगले चरण की कार्यवाही का संचालन तथा पूर्व में की गई कार्रवाई या कार्यवाही में निहित किसी निदेश का क्रियान्वयन, वर्तमान में कराधेय व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले उत्तरवर्ती अधिकारी द्वारा किया जाएगा, न कि पूर्ववर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा, जिसकी करदाता पर अधिकारिता उसके स्थानांतरण के कारण समाप्त हो चुकी है।

6. कर संबंधी विषयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में स्थानांतरण के पश्चात् की गई कार्रवाइयों के बारे में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सक्षम अधिकारी के पूर्ववर्ती कार्य विधिमान्य बने रहते हैं,, तथा प्रवर्तन एवं आगे की कार्यवाही उस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए जिसने स्थानांतरण के पश्चात् अधिकारिता अर्जित की है। ऐसे मामलों में यह बात सामने आई है कि स्थानांतरण के बाद, कर देने वाले व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली अधिकारी को ही किसी कार्रवाई को जारी रखना चाहिए या उससे जुड़ी आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। । इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया है कि उत्तरवर्ती अधिकारक्षेत्रीय प्राधिकारी को, पूर्ववर्ती अधिकारक्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा पहले की गई किसी वैध प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक कार्रवाई अथवा कार्यवाही पर आगे की कार्रवाई करने से कोई बाधा नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानांतरण के पश्चात् प्रत्येक परवर्ती चरण में उत्तरवर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी को ही कार्यवाही का मुख्य प्राधिकारी होना चाहिए, और जहाँ पूर्ववर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा स्थानांतरण से पूर्व कोई

कार्रवाई या कार्यवाही आरंभ की जा चुकी हो, तो उत्तरवर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी उस पूर्व में की गई कार्रवाई या कार्यवाही के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकता है।

7. अतः, एतद्द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:

(क) सीजीएसटी अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन, जहाँ पूर्ववर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा, उस तिथि को पंजीकृत करदाता पर अधिकारिता रखते हुए, कोई कार्रवाई या कार्यवाही विधिवत् की गई हो, वह कराधेय व्यक्ति के परवर्ती स्थानांतरण के बावजूद विधिमान्य बनी रहेगी। उत्तरवर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी, पूर्ववर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा की गई ऐसी पूर्व वैध कार्रवाई पर कार्य करेगा, उसे प्रभावी करेगा तथा उसके आधार पर आगे की कार्यवाही करेगा, मानो उसने स्वयं वह कार्रवाई आरंभ की हो।

(ख) पूर्ववर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी, करयोग्य व्यक्ति के उत्तरवर्ती अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाने के पश्चात् उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा और न ही कोई कार्यवाही आरंभ करेगा। यदि पूर्ववर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी के ध्यान में कोई विषय आता है, तो वह उसे आगे की उचित कार्रवाई हेतु उत्तरवर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी को सूचित करेगा।

(ग) जहाँ पूर्ववर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आरंभ की गई किसी कार्रवाई या कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कराधेय व्यक्ति किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है, वहाँ उत्तरवर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी उस कार्रवाई या कार्यवाही को स्थानांतरण के समय जिस चरण पर थी, उसी चरण से आगे ले जाएगा और उसे निष्कर्ष तक पहुँचाएगा। साथ ही, उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाहियाँ प्रारंभ करने हेतु भी वही सक्षम अधिकारी होगा। इस प्रकार, उत्तरवर्ती अधिकारक्षेत्रीय अधिकारी ऐसी पूर्व में की गई किसी कार्रवाई को प्रभावी करने, क्रियान्वित करने अथवा उस पर आगे की कार्रवाई करने के लिए, तथा पूर्ववर्ती कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाली किसी भी परिणामी कार्रवाई, जिसमें अपीलीय अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करना, कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करना, उसका बचाव करना अथवा उसे संचालित करना सम्मिलित है, के लिए सक्षम अधिकारी होगा।

8. उपर्युक्त अनुदेशों के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो तो कृपया उसे बोर्ड के संज्ञान में लाएँ।

भवदीय,

(गौरव सिंह)
आयुक्त (जीएसटी)